>

Title: Issue regarding crop damage caused by hailstorm in Vidisha Parliamentary Constituency.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से अपने प्रदेश और संसदीय क्षेत्र का एक गम्भीर मसला सदन में उठाना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अभी-अभी भयंकर ओलावृष्टि का शिकार हुआ है, जिसके कारण किसानों की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। पहले विदिशा और बासौदा के गावों में और बाद में नसरुल्लागंज के गांवों में इतनी ओलावृष्टि हुई है कि पूरी की पूरी फसलें बरबाद हो गई हैं। मैं स्वयं वहां का दौरा करके आई हूं, वहां की फसल की बरबादी को मैंने स्वंय अपनी आंखों से देखा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने 29 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें पुराने और अब के नुकसान को देखते हुए 575 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। लेकिन अभी तक हमें प्रधान मंत्री जी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ एक विषय और जोड़ना चाहती हूं कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से मुआवजा मांगती हैं, परंतु वह राशि कभी पूरी या अधूरी मिलती है। लेकिन जो कंपनियां फसल बीमा योजना चला रही हैं, वे किसानों का बहुत शोषण कर रही हैं। प्रीमियम की राशि तो वे पीड़ित किसान से उसके खेत के नाम पर लेती हैं, लेकिन जब फसल का नुकसान हो जाए तो तहसील या पटवार हलके को इकाई मानकर बीमे की राशि देने का मानदंड निर्धारित करती हैं। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।...(व्यवधान) यह उनका शोषण है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि अगर गाड़ी का बीमा होता है तो उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या चोरी होने पर गाड़ी के मालिक को बीमा की रकम मिलती है।...(व्यवधान) अगर मकान का बीमा होता है तो मकान में आग लग जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर उस व्यक्ति को बीमा मिलता है।...(व्यवधान) यह किसान के साथ ही क्यों किया जाता है कि उसके खेत का नुकसान होने पर कहा जाता है कि पूरी तहसील का नुकसान होगा तो देंगे, पूरे पटवार हलके का नुकसान होगा तो देंगे।...(व्यवधान) यानी वह अपने नुकसान के साथ भगवान से दुआ करे कि मेरी पूरी तहसील को नुकसान पहुंचाओ तो मुझे बीमा की रकम मिलेगी।...(व्यवधान) किसानों के साथ होने वाले इस शोषण को बन्द किया जाना चाहिए और फसल बीमा योजना में संशोधन किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) खेत को इकाई मानकर किसान को बीमा की रकम मिले, यह हमारी संसद से एक स्वर जाना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग सम्बद्ध कर सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला,

श्री शिवराज भैया,

श्रीमती सुमित्रा महाजन,

श्री नामा नागेश्वर राव,

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्री विष्णु पद राय,

श्री पन्ना लाल पुनिया,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र और

श्री वीरेन्द्र कुमार अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 11th February, 2014 at 11.00 a.m.

12.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, February 11, 2014/Magha 22, 1935 (Saka).